

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 के नियम 121)

आदेश पत्रक ता०.....से.....तक।

जिला-जामताड़ा,

केस का प्रकार:-अतिक्रमण हटाने के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
17.01.2023	यह अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा का पत्रांक-32/सा०, दिनांक-17.01.2023 के माध्यम से दिए गए निदेश के आलोक में खोला गया है। राजस्व उप निरीक्षक हल्का संख्या-01 श्री कुमार हितेश दास-सह-अंचल निरीक्षक, करमाटॉड(विद्यासागर) ने जाँच प्रतिवेदन दिया है कि करमाटॉड(विद्यासागर) अंचल अंतर्गत मौजा-डुमरिया, थाना सं०-91, खाता सं०-18, दाग सं०-474, रकबा-01.72 एकड़ किस्म-पुरातन पतित कहकर गत सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त भूमि पर कमशः 1.अब्दुल खुदुस अंसारी, पिता-स्व० निजामुद्दीन मियाँ, 2.सईद अंसारी, पिता-स्व० निजामुद्दीन मियाँ, 3. खलिल अंसारी, पिता- सईद अंसारी, 4. बसीर अंसारी, पिता- सईद अंसारी 5.नईम अंसारी, पिता- सईद अंसारी, 6. लतीफ अंसारी, पिता- सईद अंसारी, 7. मंसुर अंसारी, पिता-हमीद मियाँ, 8. आजाद अंसारी, पिता- हमीद मियाँ, 9. गालीब अंसारी, पिता- अब्दुल हनान, 10. मंजूर अंसारी, पिता- मसुद मियाँ, 11. आफताब आलम, पिता- अनवर मियाँ, 12. बाबु मियाँ, पिता- लुकमान मियाँ, 13. कमरुद्दीन अंसारी, पिता- लुकमान मियाँ, 14. सजीम अंसारी, पिता- समसुद्दीन मियाँ, 15. अजीम अंसारी, पिता- समसुद्दीन मियाँ, 16. अलाउद्दीन अंसारी, पिता- समसुद्दीन मियाँ, 17. बदरुद्दीन अंसारी, पिता- लुकमान मियाँ, 18. मोबारक अंसारी, पिता- मुस्तफा मियाँ, 19. बहारुद्दीन अंसारी, पिता- समसुद्दीन अंसारी के द्वारा कमशः रकबा-8फीट, 0.01 एकड़, 0.01 एकड़, 0.02 एकड़, 0.02 एकड़ 0.02 एकड़, 0.06 एकड़, 0.13 एकड़, 0.01 एकड़, 0.01 एकड़, 0.03 एकड़, 0.09 एकड़, 0.05 एकड़, 0.01 एकड़, 0.04 एकड़, 0.01 एकड़, 0.10 एकड़, 0.002 एकड़, 0.03 एकड़ भूमि पर ईट का दीवाल/प्रधानमंत्री आवास/कच्चा नकान/एक्का मकान/कच्चा मकान सह आँगन निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अंचल अमीन ने मापी प्रतिवेदन में उक्त अतिक्रमण की पुष्टि की है। अतः अतिक्रमणकारी 1.अब्दुल खुदुस अंसारी, पिता-स्व० निजामुद्दीन मियाँ, 2.सईद अंसारी, पिता-स्व० निजामुद्दीन मियाँ, 3.खलिल अंसारी, पिता- सईद अंसारी, 4. बसीर अंसारी, पिता- सईद अंसारी 5.नईम अंसारी, पिता- सईद अंसारी, 6. लतीफ अंसारी, पिता- सईद अंसारी, 7. मंसुर अंसारी, पिता-हमीद मियाँ, 8. आजाद अंसारी, पिता- हमीद मियाँ, 9. गालीब अंसारी, पिता- अब्दुल हनान, 10. मंजूर अंसारी, पिता- मसुद मियाँ, 11. आफताब आलम, पिता- अनवर मियाँ, 12. बाबु मियाँ, पिता- लुकमान मियाँ, 13. कमरुद्दीन अंसारी, पिता- लुकमान मियाँ, 14. सजीम अंसारी, पिता- समसुद्दीन मियाँ, 15. अजीम अंसारी, पिता- समसुद्दीन मियाँ, 16. अलाउद्दीन अंसारी, पिता- समसुद्दीन मियाँ, 17. बदरुद्दीन अंसारी, पिता- लुकमान मियाँ, 18. मोबारक अंसारी, पिता- मुस्तफा मियाँ, 19. बहारुद्दीन अंसारी, पिता- समसुद्दीन अंसारी को नोटिस निर्गत कर दिनांक-16.02.2023 तक अतिक्रमण हटाने का निदेश दें। अभिलेख दिनांक-16.02.2023 को रखें।	

अंचल अधिकारी,
करमाटॉड(विद्यासागर),
जामताड़ा।

अभिलेख उपस्थापित।

उक्त आतिथ्यता अभि का रोजाना उपनिवेशक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा सौंपा - हुमरिया जाकर स्थानीय जॉन किया गया। स्थानीय जॉन के क्रम में पाया गया कि गौजा- हुमरिया नं- 91, खाला खै- 18, दाग खै- 174 मिले। पुराने पतेत अभि का आतिथ्यता कारीगों के द्वारा अपना- अपना आतिथ्यता हटा लिया गया है। यहाँ उक्त अभि को आतिथ्यता मुक्त कर दिया गया है।

अतः उक्त अभि का आतिथ्यता वाद का अग्रैर कारवाई को समाप्त किया जाता है।

98/04/25
अंचल अधिकारी
कानगाँड़ (विभागाध्यक्ष)

105

1-5/21



106

मेबा मे,

अधिल कार्यकारी
अवकाश (विद्यार्थी),

विषय:- गौजा-कुमरिका के दाग नोंका- 474 मिन्त- फुलान पदित नमि मा
अतिरुपण मा नोंन अतिरुपण /

महाकाय, उमरुम विषय के संबंध में गौजा-कुमरिका जाइल नालीप नोंन
मिमा गमा / नालीप नोंन के रूप में पमा गमा कि गौजा-कुमरिका
न-91 नालीप नोंन 18 दाग नोंका- 474 मिन्त- फुलान पदित
नमि मा अतिरुपणकारियों के दाग नोंका- अपना अतिरुपण
दया मिमा गमा के पं उमरु नमि मा अतिरुपण उमरु
मद दिमा गमा है

दाग नोंन अतिरुपण माइल ~~नमि~~ नमि नमि (नमि नमि) /

आभार
[Signature]

विद्यार्थी
[Signature]